

मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड

पी.आई.यू. जबलपुर

737, अग्रवाल कालोनी, जैन मंदिर के पीछे, जबलपुर (म.प्र.) 482002

ऑफिस नं- 0761-4921421, Email-mpudcljbp@gmail.com

क्र. 067/म.प्र.अ.डे.कं.लि. /2019

जबलपुर, दिनांक : 01/05/2019

प्रति,

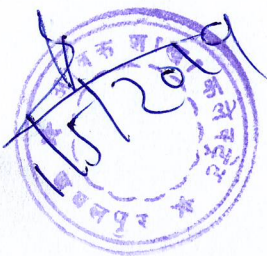
कलेक्टर महोदय,
जिला - जबलपुर (म.प्र.)

विषय : म.प्र. शहरी सेवा उन्नयन कार्यक्रम के तहत पैकेज क्रमांक -5B के सात शहरों के समूह जल प्रदाय योजना में पाईप लाईन बिछाने के अंतर्गत वन विभागों के मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि म.प्र. शहरी सेवा उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत म.प्र.अ.डे.कं.लि. के द्वारा उक्त कार्य का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। इस कार्य को म.प्र. शासन द्वारा एशियन विकास बैंक की वित्तीय सहायता से निर्माण एजेंसी I.H.P.Co.Ltd., Mumbai द्वारा किया जा रहा है, इस योजना का प्रमुख अवयव जल शोधन संयंत्र लम्हेटाघाट (भेड़ाघाट) में निर्माणाधीन है। जल शोधन संयंत्र लम्हेटाघाट (भेड़ाघाट) से पाईप लाइन द्वारा शुद्ध जल क्रमशः भेड़ाघाट, पाटन, तेंदुखेड़ा, कटंगी, मझौली, पनागर एवं सिहोरा शहर में प्रदाय किया जायेगा।

इस कार्य के अंतर्गत लम्हेटाघाट (भेड़ाघाट) से भेड़ाघाट चौराहा के मध्य 900 मीटर पाईप लाईन बिछाने के लिए 0.09 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता होगी। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान के तहत वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन विभागों के मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।



परियोजना प्रबंधक

मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
पी. आई.यू. जबलपुर (म.प्र.)